संख्या–1333 /आठ–7–2022

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
(विकास प्राधिकरण–फिरो0शिको0, आजमगढ़ व बुलन्दशहर को छोड़कर)

2– **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 **लखनऊः दिनांक : 13 दिसम्बर, 2022**

विषय : शासनादेश दिनांक 28.10.2016 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के पदों के किये गये पुनर्गठन के आधार पर 50:35:15 के अनुपात में विभाजन के फलस्वरूप निर्धारित पदों के अनुरूप समायोजित कार्मिकों का विवरण संगत अभिलेखों सहित उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1243/आठ–7–2022 दिनांक 28.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 28.10.2016 द्वारा किये गये पुनर्गठन के आधार पर 50:35:15 के अनुपात में विभाजन के फलस्वरूप निर्धारित पदों के अनुरूप समायोजित कार्मिकों का विवरण संगत अभिलेखों सहित एवं यदि विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में आशुलिपिक संवर्ग में 10 से कम कार्मिक रहे हों, तो उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(2) की प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समायोजित कार्मिकों का विवरण संगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु वांछित सूचना शासन को अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के पत्र दिनांक 28.09.2022 के निर्देशानुसार वांछित सूचना शासन को संगत अभिलेखों सहित एक सप्ताह में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार सिंह)
विशेष सचिव